संख्या 27/11/2011-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक सितम्बर, 2011

आदेश 09/2011

सहकारिता विभाग के अंतर्गत विशेष अनुसंधान शाखा में कार्यरत कार्मिक, सर्वश्री जगदीश चन्द्र डालाकोटी, ए. एस. आई. (एम.) एवं श्री जीवन चन्द पन्त, ए. एस. आई. (एम.) द्वारा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 279/07 (एस. एस.) दायर की गई थी । उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को उनके प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निदेश दिया गया था । प्रकरण के निस्तारण के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभाग में जिन पदों पर सहकारिता विभाग द्वारा नियुक्ति की गई है, उनका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को आयोजित बैठक में इस विभाग के कार्मिकों की अंतिम आवंटन सम्बन्धित संस्तुतियां की गई है, जिन्हें आधार मानते हुए निम्नवत आवंटन किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001 स्था.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आवंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेंगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार

संलग्नकः 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से आबंटित विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभागके 05 कार्मिकों की सूची ।

प्रतिलिपिः
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, लखनऊ ।
4. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

विभाग — **विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता विभाग**

आबंटित राज्य — उत्तराखंड

कुल पद — 8

रिक्त पद — 3 ; श्री गंगा सागर शर्मा, चौकीदार कम स्वीपर को उत्तर प्रदेश विकल्प के आधार पर उत्तराखंड राज्य आवंटन से मुक्त रखने के फलस्वरूप 1 रिक्त पद (निर्णय 14.02.2011 को हुई बैठक में लिया गया था) तथा श्रीमती पुष्पा ठाकुर, एस.आई. (एम)/स्टेनो एवं श्री जार्ज लारेंस, एस.आई. (एन)/सीनियर क्लर्क क्रमशः दिनांक 31.5.2001 व 30.04.2003 का सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप 2 रिक्त पद ।

क.स.	कार्मिक का नाम	पदनाम	श्रेणी	वर्ग
1	2	3	5	6
1.	श्री जगदीश चन्द्र डालाकोटी	ए.एस.आई. (एम)/जूनियर क्लर्क	विकल्पधारी/मूल निवासी	सामान्य
2.	श्री जीवन चन्द्र पन्त	ए.एस.आई. (एम) /जूनियर क्लर्क	विकल्पधारी/मूल निवासी	सामान्य
3.	श्री पदीराम	चपरासी	विकल्पधारी/मूल निवासी	अनुसूचित जाति
4.	श्रीमती चम्पा देवी	चपरासी	विकल्पधारी/मूल निवासी	सामान्य
5.	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	अर्दली/चपरासी	विकल्पधारी/मूल निवासी	सामान्य